

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बीदासर  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) सडूखोटी

पीठासीन अधिकारी :- ~~मनीषा डेघा~~ R.A.S.

उनवान

वाइदेवी ..... बनाम ..... नैराराम झाडे

दावा बाबत ..... विभाजन

मुकदमा नम्बर :-

निर्णय दिनांक :- 23-5-18

वादी की ओर से ~~वाइदेवी~~ की व प्रतिवादी की ओर से ~~नैराराम~~ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23/5/18 को ..... (नाम पीठासीन अधिकारी) ~~मनीषा डेघा~~ उपखण्ड अधिकारी, बीदासर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

वादनी का वाद जसिपे राजीनामा व विभाजन उपखण्ड अदालत अर्थात् अदालत की जारी किया जाता है। कि वादगत खेत रोहि तैण्डेतर के खेत क्र. 583 नगरी 13. 2282 हेक्टेयर है। जिससे गुताविह हिल्ला वादिनी वाइदेवी पत्नी नरसीराम जाति जाठ निवासीनी सडूखोटी तह. बीदासर जिला शह के हस्ता पांति 2909. 583 अर्थात् खेत क्र. 7938 हेक्टेयर रहिणी शर्त खावी कि खाते डी राजस्व रिवाड के प्रलग दर्ज की जाकर प्रलग लगान दर्ज किना खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 23/5/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



*Namdev*  
उपखण्ड अधिकारी  
पीठासीन अधिकारी एवं  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, बीदासर.

\*

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामिल
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल		
जोड़		जोड़